

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जसवीर सिंह बनाम अनूप सिंह आदि
किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 7 सन् 2019

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--


13.08.18

प्रार्थी जसवीर सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कम्योज निवासी 19 एफ ज्वालेवाला तहसील श्री करणपुर जिला गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह के द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 19 एफ के खाता संख्या 28/27 के मु.न. 41 में 6.070 हेक्टर नहरी भूमि में से प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के नाम 1/2 हिस्सा भूमि के संवध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण या अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें कोई प्रभावी आदेश प्रार्थी को सुने बिना नहीं दिया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

२६/१९

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को उ महीने से अधिक का समय हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कवियर प्रार्थना पत्र 148 (क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणति होकर नम्बर से कम हो



(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

